60 II/निग0/रीवा/2018/0831

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर वृत्त रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

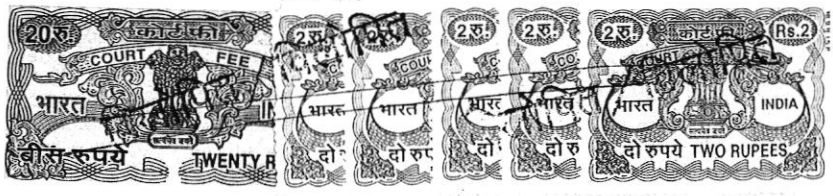

सत्यनारायण शुक्ला तनय रामनिरंजन शुक्ला निवासी ग्राम सगरा तह0 सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)

————निगरानीकर्ता

बनाम

हीरामणि पिता काशी प्रसाद निवासी ग्राम सगरा तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)

————गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 28.12.2017 न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा के प्रकरण कमांक 580/अपील/2017–18

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

1– यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिरमौर के समक्ष न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय सिरमौर के राजस्व प्रकरण कमांक 3/अ–85/73–74 आदेश दिनांक 23.03.1974 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया था।

2– यह कि गैरनिगरानीकर्ता ने इस आशय की अपील प्रस्तुत की थी कि आराजी नम्बर 3, 6, 8, 9, 135, 170 तथा 214 ग्राम सगरा तह0 सिरमौर में स्थित है तथा वर्ष 1973–74 के पूर्व मध्यप्रदेश

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक II /निगरानी/ रीवा /2018/भूरा/0831

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23–5–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र द्विवेदी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 580/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28.12.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण में स्थगन इसलिये दिया गया है कि आवेदक द्वारा रास्ता को अवरूद्व कर दिया गया है, जिससे आने जाने में परेशानी हो रही है। अतः अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 28.12.17 में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 28.12.17 स्थिर रखने योग्य है। 3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 580/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 28.12.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों। सदस्य	